



आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex./ST, JODHPUR  
जी-105, न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर-342003  
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

\*\*\*\*\*

फा.सं. II/3/TFR/155/2025-ADMN / 3070 to 3096

दिनांक : 16.05.2025

स्थापना आदेश संख्या : 06/2025


दिनांक : 16.05.2025

कार्यालय मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर(जयपुर जोन), जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 13/2025 दिनांक 06.05.2025 के तहत इस आयुक्तालय को आवंटित एवं इस आयुक्तालय में कार्यरत निम्नलिखित गुप 'स' अमंत्रालयिक अधिकारियों (हवलदार/हैड हवलदार) को अग्रिम आदेशों तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदास्थापित/स्थानांतरित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री)	कहां से	कहां को
1	Prahlad Beniwal	On joining	CGST Division, Hanumangarh
2	Yunus Khan	On joining	CGST HQRS, Jodhpur
3	Chhanwar Lal	On joining	CGST Division, Jodhpur Rural
4	Onkar Singh	On joining	CGST Division, Shriganganagar
5	Raghav Patodiya	On joining	CGST Division, Abu Road
6	Mahadev Saharan	CGST HQRS., Jodhpur	CGST Range -30, Churu (CGST Division Bikaner Rural)

1. क्रम संख्या 1,3 से 5 पर अंकित को आज दिनांक 16.05.2025 (अपरान्ह) को कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में तुरन्त कार्य ग्रहण करें तथा नवनियुक्ति होने के कारण कार्यग्रहण अवधि/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. क्रम संख्या 06 पर अंकित अधिकारी का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। अतः इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता /कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगा।

यह आदेश आयुक्त महोदय की स्वीकृति से निर्गत किया जा रहा है।

  
(मुकेश कटारिया)  
अपर आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (सीसीओ/सीसीयू), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. अपर आयुक्त (कर अपवंचना)/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर
3. उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-जोधपुर शहर/जोधपुर ग्रामीण / नागौर/पाली/ आवुरोड़/बीकानेर शहर/बीकानेर ग्रामीण/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व सीमा शुल्क, जयपुर।
5. महासचिव, 'स' अमंत्रालयिक अधिकारी (हवलदार/हैड हवलदार), संघ, जयपुर।
6. महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सी.जी.एस.टी. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, राजस्थान
7. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
8. निजी प्रति/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड।
9. अधीक्षक (कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने।